समाहरणालय भागलपुर

(जिला प्रोग्राम शाखा)

<u>आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु विज्ञापन</u> :–

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 990 दिनांक 05.04.2016 द्वारा निर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की मार्गदर्शिका– 2016 के आलोक में भागलपुर जिलान्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं में नवसृजित एवं पूर्व से रिक्त आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका की निम्नांकित रिक्तियों के विरूद्व चयन हेतु इच्छुक महिला अभ्यार्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सेविका/सहायिका रिक्तियों के विरूद्व चयन हेतु इच्छुक महिला अभ्यर्थी से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय के सूचना पट्ट एवं भागलपुर जिले के वेबसाईट www.bhagalpur.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र ए–4 साईज कागज पर विहित प्रपत्र में ही आवेदक द्वारा सुस्पष्ट भरा होना चाहिएं। आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत कार्यालय अवधि में 10:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराहन तक कार्य दिवस में जमा किया जा सकता है। अपूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परियोजनावार सेविका/सहायिका की रिक्तियाँ निम्न प्रकार है :–

क्र0	परियोजना का नाम	नवसृजित आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या (रिक्त पद)			पूर्व से रिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या (रिक्त पद)		कुल रिक्ति की संख्या		आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन की तिथि	आम सभा की तिथि	आम सभा का स्थान
		अतिरिक्त		मिनी								
		सेविका	सहायिका	सेविका	सेविका	सहायिका	सेविका	सहायिका				
1	बिहपुर	48	48	4	2	3	54	51	दैनिक समाचार पत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर	वार्ड सदस्य से विमर्श कर आम सभा की तिथि एवं समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे। इसकी जानकारी सम्बंधित बाल विकास परियोजना से प्राप्त किया जा सकेगा।	सम्बन्धित पोषक क्षेत्र का सार्वजनिक स्थल
2	नारायणपुर	36	36	3	2	1	41	37				
3	रंगराचौक	33	33	2	0	2	35	35				
4	खरीक	46	46	3	1	1	50	47				
5	ईस्माईलपुर	23	23	2	0	1	25	24				
6	नवगछिया	9	9	1	1	2	11	11				
7	सुलतानगंज	35	35	3	1	1	39	36				
8	गोपालपुर	24	24	2	2	5	28	29				
	कुल योग :–	254	254	20	9	16	283	270				

1. आवेदन पत्र का नमूना कार्य दिवस में संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं भागलपुर जिला के वेबसाईट www.bhagalpur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
2. आवेदन प्राप्ति के पश्चात आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आमसभा का स्थान, तिथि एवं समय की विस्तृत जानकारी कार्य दिवस में संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/भागलपुर जिला के वेबसाईट www.bhagalpur.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

<u>(क) आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अहर्ता :–</u>

1. सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी जिस स्थिति में उसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो। मैट्रिक का प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. चयन प्रकिया में वार्ड के बाहुल्य वर्ग की प्राथमिकता रहेगी।
3. अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम–18 (अठारह) वर्ष तथा अधिकतम– 40 (चालीस) वर्ष होनी चाहिए। जिसका मूल प्रमाण–पत्र आमसभा में ही उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. <u>अयोग्यता</u> :– सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिसकी मासिक आय–12000/– (बारह हजार) रू0 या उससे ज्यादा है/जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पत्नी/बहु सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो तो उसे भी आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जायेगा।
5. सेविका पद के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अंचलाधिकी से निर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आँगनबाड़ी सेविका के अभ्यर्थी को संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।

7. सेविका पद के अभ्यर्थियों को सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अन्य सभी योग्यताएँ आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु मार्गदर्शिका–2016 के समरूप होगी।
9. चयन न्यायालय के आदेश/फलाफल से प्रभावित होगा।
10. विज्ञापन में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होने पर यथोचित संशोधन किया जा सकेगा।

(ख) आँगनबाड़ी सहायिका चयन हेतु अहर्ता :–

1. सहायिका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होगी। आवेदन के साथ अष्टम का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. अन्य सभी योग्यताएँ आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका– 2016 के समरूप होगी।
3. आँगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी नहीं रहने पर कमानुसार–अनु0जा0/अनु0जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। आँगनबाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हतायें आँगनबाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप होगी।
4. सहायिका पद के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अंचलाधिकारी से निर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सहायिका पद के अभ्यर्थियों को सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. चयन न्यायालय के आदेश/फलाफल से प्रभावित होगा।
7. विज्ञापन में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होने पर यथोचित संशोधन किया जा सकेगा।

शेष परियोजना में विज्ञापन का प्रकाशन मैंपिंग त्रुटि निराकरण करने के पश्चात किया जायेगा

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.bhagalpur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/
जिलाधिकारी
भागलपुर।

ज्ञापांक /जि0 प्रो0 भागलपुर, दिनांक–

प्रतिलिपि : महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया इसका प्रकाशन स्थानीय दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय। आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन संबंधी सूचना पत्र छः प्रतियों में सी0 डी0 सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है।

ह0/
जिलाधिकारी
भागलपुर।

ज्ञापांक I-46/2012– 812 /जि0 प्रो0 भागलपुर, दिनांक– 28/07/2018

प्रतिलिपि : ✓जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, (एन0आई0सी0) भागलपुर को विज्ञापन के सी0 डी0 के साथ जिला के बेबसाईट www.bhagalpur.bih.nic.in पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सम्बंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भागलपुर जिला को विज्ञापन के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन की प्रति के साथ–साथ रिक्त आँगनवाड़ी केन्द्रों की सूची सम्बंधित वार्ड सदस्य को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति प्रखंड स्थित सभी सरकारी कार्यालय के सूचना पट् पर चिपकवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : निदेशक, आई0 सी0 डी0 एस0, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
भागलपुर।
27/7/18